

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

: अधिसूचना :

अधिसूचना: यो0स्था06/3-32/2023 - 6106 / यो0वि0, पटना, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। -

(1) यह नियमावली बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 के नियम-10 का प्रतिस्थापन। -

उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“सहायक अभियंता के पद पर योगदान (नियुक्ति) की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।”

3. बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 के नियम-11 (i) का प्रतिस्थापन। -

उक्त नियमावली के नियम-11(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

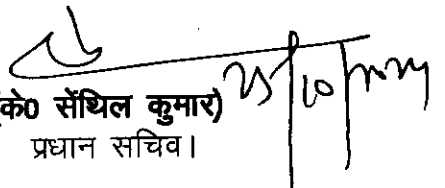
“सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक को पद ग्रहण की तिथि से एक वर्ष के भीतर राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित प्रासंगिक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में वेतनवृद्धि तबतक नहीं दी जायेगी, जबतक कि वह परीक्षोत्तीर्ण न हो जाय।”

4. बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 के नियम-12 का प्रतिस्थापन। -

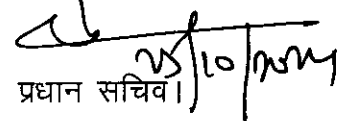
उक्त नियमावली के नियम-12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“ विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जा सकेगा। ”

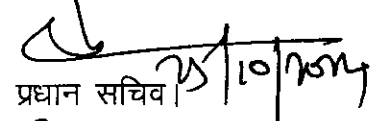
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(के0 सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव।

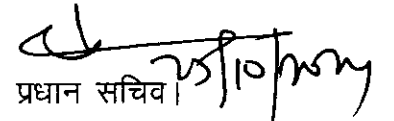
ज्ञापांक: यो0स्था06/3-32/2023 - 6106 / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 अक्टूबर, 2024
प्रतिलिपि: ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

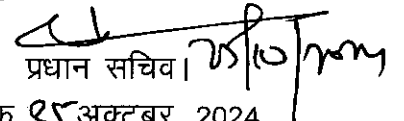
ज्ञापांक: यो0स्था06/3-32/2023 - 6106 / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 अक्टूबर, 2024
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।

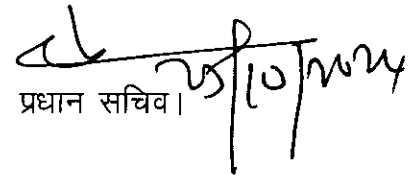
ज्ञापांक: यो0स्था06/3-32/2023 - 6106 / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 अक्टूबर, 2024
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: यो0स्था06/3-32/2023 - 6106 / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 अक्टूबर, 2024
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01 एवं 02, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: यो0स्था06/3-32/2023 - 6106 / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 अक्टूबर, 2024
प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।